

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2022/ 516

दिनांक:- 21/12/22

प्रेषिती:-

श्री जितेन्द्र कुमार मीश्रा पुत्र श्री रामगोपाल मिश्रा
नि. घंटाघर के पास, गढ़ के पास गली,
मोरी का बास तह. व जिला सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा सं. 1990/1062 रकबा 10650.00 वर्गमीटर में से 10648.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसरा) भूमि पर न्यू बालाजी विहार आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा सं. 1990/1062 रकबा 10650.00 वर्गमीटर में से 10648.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसरा) भूमि पर न्यू बालाजी विहार आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

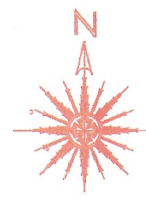
1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 14, 15, 16, 17, 39, 40 व 41) भू-खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
10. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाइन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए. वि. वि. एन. एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- योजना मानचित्र।

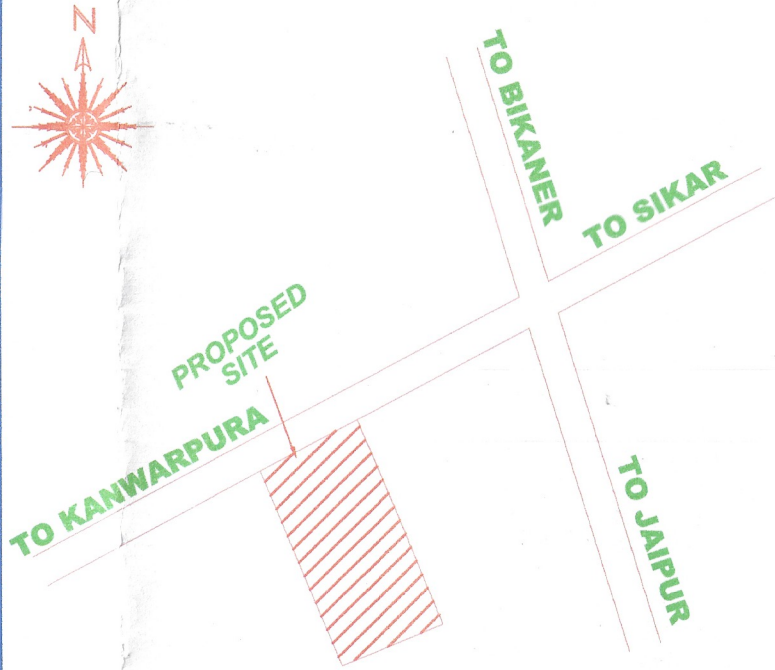


(राजपाल यादव RAS)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

NEW BALAJI VIHAR
LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 1990/1062, KANWARPURA ROAD , SIKAR
REVENUE VILL. -NANI, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND (RESIDENTIAL CONVERSION)
APPLICANT:-JITENDRA KUMAR MISHRA S/o RAMGOPAL MISHRA
R/o GHANTGHAR KE PASS, GARH KE PASS GALI, MORI KA BASH, SIKAR TEH. SIKAR, RURAL
DIST. SIKAR



URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR



KEY-PLAN
Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	6560.86	61.61%
2.	COMMERCIAL	0495.07	04.65%
3.	INFO.COMM.	0120.23	01.13%
4.	MOBILE TOWER	0049.94	00.47 %
5.	ROAD	3421.90	32.14 %
TOTAL		10648.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

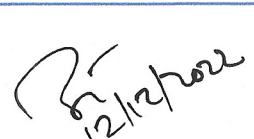
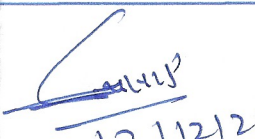
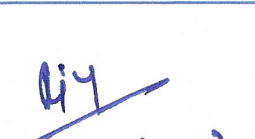
1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOT'S	51
3.	COMMERCIAL	2
4.	INFORMAL COMMERCIAL	6
	MOBILE TOWER	1

—	SCHEME BOUNDARY
—	KHASRA LINE
—	PLOT BOUNDARY
—	SECTOR PLAN ROAD

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =7 MTR

योजना का नाम का ले-आउट आज दिनांक को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

 (मोहम्मद अजहम) नगर विकास न्यास, सीकर	 12/12/22 सहायक अभियन्ता नगर विकास न्यास, सीकर	 12/12/22 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर
--	--	--

REMAINING AREA FOR CONVERSION=10648.00 SQ. MTR

HOME ARCHITECT & SURVEYORS
1st Floor, Jangir Bhawan,
Opp. Court, Sikar
9928338794, 7891067650